



2026:AHC:17709

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 2638/2026

प्रदीप साहनी

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता :- आकाश कुमार निषाद

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार यादव द्वारा सूचनाकर्ता की ओर से वकालतनामा दाखिल किया गया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह प्रार्थी की ओर से दायर द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है। उसकी प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय आदेश दिनांक 16.09.2025, जो कि आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 20284/2025 में पारित हुआ, निरस्त कर दी गई थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि पीड़िता ने पुलिस तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज अपने बयानों में प्रार्थी के विरुद्ध उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने का विशिष्ट आरोप लगाया था, किंतु प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने के पश्चात विचारण के दौरान पीड़िता (पी.डब्ल्यू.-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में प्रार्थी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया तथा उसने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। उक्त बयान को जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में दाखिल शपथपत्र के साथ परिशिष्ट संख्या 11 के रूप में संलग्न किया गया है। अतः

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह तर्क दिया गया कि अभियोजन द्वारा आरोपों को संदेह से परे सिद्ध किए जाने की संभावना अत्यंत कम है तथा प्रार्थी के दोषसिद्ध होने की संभावना भी कम है। आरोपों की असत्यता को दर्शाने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं तथा वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं, जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, प्रार्थी को झूठा फँसाया गया है। यह भी आश्वासन दिया गया है कि प्रार्थी विधि की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेगा, न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक होगा उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाले सभी शर्तों का पालन करेगा। आगे यह भी कहा गया है कि प्रार्थी दिनांक 23.02.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का यह कहते हुए विरोध किया कि विचारण पूर्ण होने से पूर्व प्रार्थी की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः उसे कोई राहत प्रदान नहीं की जानी चाहिए। तथापि, वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि विचारण के दौरान पीड़िता ने अपने बयान में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया तथा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

5. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय का विचार है कि प्रार्थी ने जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

6. अतः, प्रार्थी प्रदीप साहनी को मुकदमा अपराध संख्या 94 of 2025, धारा 137(2), 98 बी.एन.एस. तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4, थाना कोतवाली, जनपद महाराजगंज में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

- ii) प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा।



iv) प्रार्थी उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या संदेह के अधीन है।

v) प्रार्थी किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य उजागर करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ हो।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

27 जनवरी, 2026

मुस्तकीम